RSBY एवं MSBY – साप्ताहिक समीक्षा बैठक
चर्चा के बिन्दु, दिनांक 10.08.2017

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पुराना संचालनालय स्थित, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के कक्ष में दिनांक 10.08.2017 को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे:–

क्रं.	नाम	पदनाम
1	श्रीमति रानू साहू	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं सह CEO, RSBY-MSBY, C.G.
2	श्री विजेन्द्र कटरे	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, RSBY-MSBY, C.G.
3	श्री राजकुमार कुशवाहा	प्रोजेक्ट ऑफिसर, RSBY-MSBY, C.G.
4	श्री प्रेम प्रकाश	कम्प्यूटर प्रोग्रामर, एस.एन.ए.
5	श्रीमति उषा जैन	क्षेत्रीय प्रबंधक, द यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
6	श्री दीपक वैष्णव	राज्य प्रबंधक, मेडिअसिस्ट इंडिया टी.पी.ए. प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर
7	श्री देव छाबड़ा	राज्य प्रबंधक, मेडिकेयर टी.पी.ए. सर्विसेज इंडिया प्राइवेट, लिमिटेड, रायपुर
8	श्री तापश पॉल	विडाल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर

बैठक की चर्चा के बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. 31 दिवस के पश्चात् लंबित प्रकरणों के भुगतान के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा बताया गया कि, टी.पी.ए. द्वारा लगभग 8 हजार प्रकरणों का भुगतान दिनांक 10.08.2017 को किया जा रहा है एवं शेष प्रकरणों के भुगतान शीघ्र ही किया जावेगा। इस पर संचालक महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है कि, लंबित प्रकरणों का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।
   कार्यवाही – यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

2. योजनातर्गत जैन डेन्टल क्लिनिक, रायपुर के समस्त प्रकरण को पूर्वानुमति लेने व हितग्राही की बैठक की सीमा तय किये जाने हेतु कहा गया एवं ऐसे डेन्टल क्लिनिक जिन पर संदेह हो, उन डेन्टल क्लिनिक को भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है।

   कार्यवाही – यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड़ एवं समस्त टी.पी.ए.

3. संचालक महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि, जिन चिकित्सालयों को योजनांतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उन चिकित्सालयों को सुनवाई हेतु बुलाया जावे तथा प्रत्येक बैठक में 3 चिकित्सालयों को सुनवाई हेतु बुलाया जाना सुनिश्चित करें।

   कार्यवाही – यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड़ एवं समस्त टी.पी.ए.

4. संचालक महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है कि, EDNF वाले क्लेम प्रकरणों के भुगतान, जब तक नहीं हो जाते, ऐसे प्रकरणों को सीधे तौर पर निरस्त न करते हुए लंबित रखा जावे एवं उन प्रकरणों का भुगतान दिनांक 20.08.2017 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें एवं EDNF वाले प्रकरणों के प्रीमियम हेतु बीमा कंपनी शीघ्रातिशीघ्र बिल राज्य नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करें।
   कार्यवाही – यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

5. जिन प्रकरणों को बीमा कंपनी/ टी.पी.ए. द्वारा Pre-auth not taken or other जैसे प्रकरणों को निरस्त किया गया है, इस प्रकार के प्रकरणों को पुनः जांच कर उन प्रकरणों का भुगतान किया जाना एवं निरस्त किये गये प्रकरणों का वैध टिप्पणी की जानी सुनिश्चित करें।
   कार्यवाही – यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड़ एवं समस्त टी.पी.ए.

6. संचालक महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि, किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज कम होते हैं, तो उक्त दस्तावेज को चिकित्सालय से मांग जाना चाहिए। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण पर निर्णय लिया जाना सुनिश्चित करें तथा यह भी देखे कि, केवल Procedure Mistake के कारण ही प्रकरण निरस्त किया जावे। ऐसे सभी प्रकरणों का पुनः समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

   कार्यवाही – यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड़ एवं समस्त टी.पी.ए.

7. नये पंजीकृत निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों के संबंध में निर्देशित किया गया है कि, उक्त चिकित्सालयों को हॉस्पिटल किट दिनांक 20.08.2017 तक उपलब्ध कराना एवं प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें। इस पर बीमा कंपनी एवं टी.पी.ए. ने सहमति प्रदान की है।

   कार्यवाही – यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड़ एवं समस्त टी.पी.ए.

8. जिन नवीन चिकित्सालयों का योजनांतर्गत पंजीयन किये जाने हेतु निरीक्षण किया गया है, ऐसे चिकित्सालयों का Master Hospital Card मंगाये जाने हेतु भारत सरकार की वेबसाईट पर निश्चित तौर पर दिनांक 16.08.2017 तक निवेदन प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। **कार्यवाही – यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड़**

9. जिन चिकित्सालयों का भुगतान मेडिकल आडिट के कारण लंबित है या बैंक खाता गलत होने /खाता क्रमांक गलत होने/ऐसे भुगतान जो बैंक की गलतियों की वजह वापस आ गये है (चंदुलाल चंद्राकर हॉस्पिटल, दुर्ग) को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। **कार्यवाही – यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड़ एवं समस्त टी.पी.ए.**

10. ए.एस.जी. हॉस्पिटल, रायपुर एवं सिटी हॉस्पिटल, दुर्ग को पुनः पंजीयन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। **कार्यवाही – यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड़ एवं समस्त टी.पी.ए.**

11. शेष चिकित्सालयों के पंजीयन एवं पुनः पंजीयन हेतु लंबित चिकित्सालयों को दिनांक 16.08.2017 तक निश्चित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर बीमा कंपनी द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

कार्यवाही – यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड़

12. एस. आर. हॉस्पिटल, दुर्ग से पूर्वानुमति न लेने के संबंध में प्राप्त पत्र पर चर्चा की गई, जिसमें बीमा कंपनी एवं टी.पी.ए. द्वारा निवेदन किया गया कि, एस. आर. हॉस्पिटल, दुर्ग के समस्त प्रकरण हेतु पूर्वानुमति (Pre-auth) लिए जाने हेतु पूर्व की भांति यथावत् रखा जाने के संबंध में संचालक महोदया द्वारा निर्देशित किया गया।

कार्यवाही – राज्य नोडल एजेंसी, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड़ एवं समस्त टी.पी.ए.

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना
छत्तीसगढ़

पृ.क्रं. /40/2016/19/ रायपुर दिनांक ....

1. **संचालक**, स्वास्थ्य सेवाएं सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, RSBY-MSBY, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. **मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक**, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. **राज्य प्रबंधक**, विडाल हेल्थ केयर टी.पी.ए. प्रा. लिमिटेड, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. **राज्य प्रबंधक**, मेडिअसिस्ट इंडिया टी.पी.ए. प्रा. लि. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. **राज्य प्रबंधक**, मेडिकेयर टी.पी.ए. लिमिटेड, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।